मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, टी.टी.नगर, भोपाल (म.प्र.)

वेब साईटः – www.apexbank.in
दूरभाष नं. : 0755– 2674712

बैंकिंग सहायक के 40 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल द्वारा बैंकिंग सहायक के 40 पदों पर भर्ती हेतु मध्य प्रदेश के मूल निवासियों से ऑनलाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित हैं ।

भर्ती हेतु विभिन्न गतिविधियों की अनुसूची निम्नानुसार है :–

गतिविधि	दिनांक
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	28.02.2017
ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	15.03.2017
आवेदन शुल्क	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए राशि रू. 800/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिये राशि रू. 600/– (वापसी योग्य नहीं)
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	परीक्षा तिथि से लगभग 7 दिन पूर्व
ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि	माह अप्रेल/मई, 2017
ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तिथि	परीक्षा सम्पन्न होने के लगभग 03 दिन बाद
मुख्य ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	परीक्षा तिथि से लगभग 7 दिन पूर्व
ऑनलाइन मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि	मुख्य परीक्षा सम्पन्न होने के लगभग 03 दिन बाद

रिक्त पदों का विवरण :

क्रमांक.	पद का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	अनारक्षित	आरक्षित	अनारक्षित	आरक्षित
1	बैंकिंग असिस्टेंट	40	11	06	06	02	05	01	04	02	01 ओएच	01 एचआई अपिव	01	00

संक्षिप्त नाम : अजा (अनुसूचित जाति), अजजा (अनुसूचित जनजाति), अपिव (अन्य पिछड़ा वर्ग), ओएच (अस्थि विकलांग), एचआई (श्रवण बाधित)

नोट –
1. अनारक्षित/आरक्षित (पुरूष) पदों पर संबंधित प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता एवं सामाजिक श्रेणी अनुसार आवेदन किया जा सकेगा।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के पदों पर आवेदन कर सकेंगे, परंतु उन्हें उम्र एवं फीस में छूट प्राप्त नहीं होगी।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि, एक वर्ष से पूर्व की नहीं होना चाहिए।

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ :

1— किसी भी विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री। हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का ज्ञान अनिवार्य होगा ।

2— निम्नांकित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी भी एक संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा कोर्स

2.1 यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से
2.2 यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय स
2.3 डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा
2.4 शासकीय पॉलिटेक्निक कालेज से मॉडर्न ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स
2.5 शासकीय आई.टी.आई. द्वारा आयोजित 'कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असेसमेंट (COPA) में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स

निम्न अर्हताएँ भी उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से जारी कम्प्यूटर डिप्लोमा के समकक्ष मान्य होंगीः—

1) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/ एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) एम.टेक.(आई.टी./सी.एस.)/एम.ई.(आई.टी./सी.एस.) ।
2) ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इन्फारमेशन टेक्नालॉजी।
3) बी.एस.सी./बी.कॉम. जिसमें कम्प्यूटर एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, मान्य नहीं किया जायेगा।

नोट : ऐसे अभ्यर्थी जो बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/ एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.), बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.), एम.टेक.(आई.टी./सी.एस.)/एम.ई.(आई.टी./सी.एस.) में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि धारित करते हैं, के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आवश्यक नहीं होगा।

कुल परिलब्धियाँ :

वेतनमान 11600—24060 : कुल प्रारंभिक परिलब्धियाँ : लगभग रू. 33617.00 प्रतिमाह

आयु सीमा (01.01.2017 पर)

न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष

यथा अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1982 के पूर्व अथवा 01.01.1999 के बाद न हुआ हो (दर्शाई गई दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए)

अधिकतम आयु सीमा में छूट :

अ.क्र.	श्रेणी	आयु सीमा में छूट
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	महिला अभ्यर्थी	10 वर्ष
3	आवेदक, जो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की संस्था (म.प्र.राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अथवा प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्था) में पूर्व से ही नियोजित हो।	5 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों	प्रतिरक्षा सेवा में वास्तविक रूप से पूर्ण की गई अवधि + 3 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष
5	विकलांग	10 वर्ष

नोट :

1. जो अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें भर्ती की किसी भी आगामी प्रक्रिया के समय चाहे जाने पर आवश्यक प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगी।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूट अन्य प्रवर्ग में उपलब्ध छूट में नहीं जोड़ी जायेगी।
3. विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी की विकलांगता का स्तर 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
4. चयनित विकलांग अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी से यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वह चयनित पद पर दायित्व निर्वहन हेतु शारीरिक रूप से उपयुक्त एवं सक्षम है।
5. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट का लाभ मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा, जो मध्यप्रदेश के वैध मूल निवासी हैं। जो अभ्यर्थी आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पूर्व मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. यह विज्ञापन पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.01.2016 से दी गई स्वीकृति के अंतर्गत जारी किया गया है।

आवेदन कैसे करें :

रजिस्ट्रेशन करने के पूर्व अभ्यर्थियों के ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी :

1. जारी दिशा–निर्देश एवं निर्धारित मापदंड के अनुसार फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर को स्केन करें एवं अपलोड करें।
2. अभ्यर्थी का अपना एक व्यक्तिगत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक चालू रखना होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना आवेदक को ई–मेल द्वारा भेजी जायेगी। परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट www.apexbank.in को समय–समय पर देखें। यदि अभ्यर्थी को ईमेल से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो इस संबंध में म.प्र. राज्य सहकारी बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी की कोई व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो ऑनलाइन आवेदन के पूर्व वह नई ईमेल आईडी बना लें तथा अपना एक व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी रखें, जो परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने तक सेवा में रहे।
3. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू. 800.00 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रू. 600.00 होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।
4. ऑनलाईन भुगतान के लिए जो प्रक्रिया शुल्क बैंक द्वारा प्रभारित किया जायेगा, वह अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :

1. प्रथमतः ''एप्लाई ऑनलाइन" को क्लिक करें, जिससे एक नई स्क्रीन खुलेगी।
2. आवेदन पंजीकृत करने के लिए "क्लिक हियर फार न्यू रजिस्ट्रेशन" का चयन करें तथा नाम, संपर्क विवरण तथा ई–मेल आई.डी. की प्रविष्टि करें। उक्त प्रक्रिया से एक अस्थाई पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड जनरेट होकर स्क्रीन पर दिखाई देगा। आवेदक अस्थाई पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड को नोट करें। अभ्यर्थी को ई–मेल द्वारा भी अस्थाई पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड प्राप्त होगा ।
3. यदि अभ्यर्थी एक बार में पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाता है, तो वह पहले भरे गये डाटा को "सेव एण्ड नेक्स्ट" टेब का चयन करते हुए सुरक्षित कर सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन को प्रस्तुत करने के पूर्व "सेव एण्ड नेक्स्ट" सुविधा का लाभ लेते हुए प्रविष्ट किये गये डाटा की ठीक प्रकार से जॉच कर लें तथा आवश्यकतानुसार सुधार करें। दृष्टिबाधित आवेदक आवेदन–पत्र को सावधानीपूर्वक भरें तथा अंतिम रूप से प्रेषण करने के पूर्व जॉच कर सुनिश्चित कर लें कि जानकारियों की प्रविष्टि सही की गई है।

4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह जानकारियों की प्रविष्टि सही प्रकार से करें एवं ठीक से स्वयं जॉच कर लें, क्योंकि अंतिम रूप से डाटा प्रेषण के पश्चात् कोई सुधार संभव नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी अथवा उसके पिता/पति आदि का नाम पूर्णतः सही अंकित किया जाना चाहिए, क्योंकि तद्नुसार ही वह अंकसूची एवं पहचान–पत्र में दर्शित होगा। कोई परिवर्तन/सुधार पाये जाने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जा सकेगा।
6. आवेदक दिये गये विवरण की प्रामाणिकता की जॉच कर लें, उसके पश्चात् 'वेलिडेट योर डिटेल्स' को क्लिक करें तथा 'सेव एंड नेक्स्ट' बटन को क्लिक करें।
7. अभ्यर्थी फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के संबंध में दिये गये विस्तृत मार्गदर्शी दिशा–निर्देश के अनुसार अपने हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ को स्केन कर अपलोड कर सकता है ।
8. अभ्यर्थी इसके पश्चात् आवेदन–पत्र में अन्य विवरण की प्रविष्टि करे।
9. प्रथमतः 'प्रिव्यू' देखने के लिये प्रिव्यू बटन को क्लिक करे, जिससे वह आवेदन पत्र में भरी गई संपूर्ण जानकारी देख सकता है। पूर्ण आवेदन पत्र की जॉच कर ही फायनल सबमिट बटन को क्लिक करें।
10. अपलोड किये गये फोटोग्राफ, सिग्नेचर तथा अन्य विवरण, जो भरा गया है, की ठीक से जॉच कर यदि आवश्यक हो तो विवरण में सुधार कर ही फायनल बटन 'सबमिट' को क्लिक करें।
11. 'पेमेंट' टेब को क्लिक करें एवं पेमेंट हेतु आगामी प्रक्रिया करें।
12. उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने तथा भरी गई जानकारी ठीक है, का सत्यापन करने के पश्चात् ही 'सबमिट' बटन को क्लिक करें। उक्त बटन को क्लिक करने से भरा गया आवेदन अपलोड हो जावेगा।
13. अभ्यर्थियों को बिना प्रवेश पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
14. अभ्यर्थी एवं उसके पिता/पति का नाम एवं जन्मतिथि दसवीं/बारहवीं की अंकसूची/प्रमाण–पत्र के साथ ही पहचान–पत्र में दर्शाये अनुसार होनी चाहिए। यदि कोई परिवर्तन या सुधार पाया गया तो अभ्यर्थी को उम्मीदवारी से अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करना

अभ्यर्थियों को ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना पंजीकृत ईमेल पर आवेदकों को भेजी जायेगी। अभ्यर्थी संबंधित लिंक को क्लिक करने पर प्रवेश पत्र डाउन लोड कर सकेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए (1) रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर (2) पासवर्ड/जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटोग्राफ, जिससे उसकी स्पष्ट पहचान प्रमाणित हो सके, प्रवेश पत्र पर चस्पा करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए जिस फोटोग्राफ का उपयोग किया गया था, उसी फोटोग्राफ का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग प्रवेश पत्र पर किया जावे । परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को (i) प्रवेश पत्र एवं (ii) फोटो पहचान पत्र जैसा कि आगे दर्शाया गया है एवं जैसा प्रवेश–पत्र में निर्दिष्ट किया गया है, की मूल प्रति एवं छाया प्रति के साथ उपस्थित होना होगा ।

ऐसे आवेदक जो परीक्षा के लिए प्रवेश–पत्र पर विनिर्दिष्ट समय के उपरांत उपस्थित होते हैं, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा में सम्मिलित होने बाबत् आवेदक को जारी प्रवेश–पत्र पर दर्शित उपस्थिति का समय परीक्षा प्रारंभ होने के समय के पूर्व का होगा। निर्धारित परीक्षा अवधि फेस–। हेतु 45 मिनिट एवं फेस–।। हेतु दो घंटे की होगी, परंतु आवेदक को विभिन्न कार्यालयीन औपचारिकतायें पूर्ण करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा, जिसमें उनका वेरीफिकेशन व अन्य आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी। इस दौरान उन्हें परीक्षा से संबंधित वांछित सभी मूल दस्तावेज इकट्ठा कर लॉग–इन व लॉग–ऑफ संबंधी दिशा–निर्देश भी बताए जायेंगे।

बायोमेट्रिक डाटा – अधिकृत पहचान एवं प्रमाणीकरण :

प्राथमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का बॉयोमेट्रिक डाटा (अंगूठा निशानी) और अभ्यर्थी का फोटोग्राफ मुख्य परीक्षा के दिन संग्रहीत (Capture) किया जायेगा। उक्त बॉयोमेट्रिक डाटा एवं फोटोग्राफ का सत्यापन कालांतर में किया जा सकेगा। बायोमेट्रिक डाटा सत्यापन प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के संबंध में लिया गया निर्णय (मिलान होने या न होने के संबंध में) अभ्यर्थियों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु अभ्यर्थी निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें :–

- यदि अंगुलियों पर कोई कोटिंग (स्टेम्प स्याही/मेहंदी/रंग आदि) है, तो परीक्षा/नियुक्ति के लिए उपस्थिति के पूर्व ठीक से साफ कर लें।
- यदि अंगुलियों पर गंदगी/धूल है तो अंगुलियों की निशानी देने (बायोमेट्रिक) के पूर्व ठीक से धो लें तथा सुखा लें। यह सुनिश्चित कर लें कि दोनों हाथों की अंगुलियां सूखी हैं।
- यदि अंगुलियों में नमी है तो ठीक से पोंछ कर सुखा लें। यदि प्रथम अंगुली (अंगूठा) जिसका निशान लेना है, यदि जख्मी/क्षतिग्रस्त है तो तत्काल केंद्र के संबंधित अधिकारी को सूचित करें।
- ऐसे प्रकरणों में अन्य अंगुलियों, पैर के अंगूठे आदि के निशान लिये जा सकते हैं।

विकलांगता के कारण सहायक (स्क्राइब) उपयोग के दिशा–निर्देश

(1) ऐसे दृष्टिबाधित अभ्यर्थी जिनकी लेखन की गति किसी भी कारण से अंतिम रूप से प्रभावित हो चुकी है, स्वयं के व्यय पर निम्न शर्तों के अधीन ऑनलाईन परीक्षा के दौरान एक सहायक की सेवायें ले सकते हैं। ऐसे सभी प्रकरणों में जहां सहायक की सेवायें ली जाती हैं, निम्न नियम लागू होंगे :–

- अभ्यर्थी को सहायक की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर स्वयं करना होगी।
- जिस सहायक की व्यवस्था अभ्यर्थी द्वारा की गई है, उसे उसी परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि उक्त नियम का उल्लंघन किसी भी स्तर पर जानकारी में आता है तो अभ्यर्थी एवं उसके सहायक दोनों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी सहायक के लिए पात्र हैं एवं परीक्षा में सहायक की सेवायें चाहते हैं, सावधानीपूर्वक इसका उल्लेख ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अनिवार्य रूप से करें। बाद में किया गया कोई भी अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं होगा।
- एक अभ्यर्थी के लिए सहायक के रूप में जो व्यक्ति कार्य करेगा, वह किसी अन्य के सहायक के रूप में अपनी सेवायें नहीं दे सकेगा।
- सहायक किसी भी शैक्षणिक क्षेत्र का हो सकता है।
- अभ्यर्थी एवं उसके सहायक दोनों को संयुक्त रूप से यह वचन पत्र देना होगा कि अभ्यर्थी सहायक लेने के लिए उपरोक्तानुसार दर्शाई गई निर्धारित पात्रता धारित करता है। पश्चात्वर्ती समय में विपरीत तथ्य पाये जाने की स्थिति में जानकारी छिपाने के लिए अभ्यर्थी की उम्मीदवारी परीक्षा के किसी भी प्रक्रम पर अथवा चयनित होने के पश्चात् भी निरस्त समझी जायेंगी।
- जो अभ्यर्थी सहायक की सेवाओं का उपयोग करते हैं, वह परीक्षा की प्रत्येक एक घंटे की समयावधि के लिए 20 मिनिट अथवा जैसी सलाह दी जाये, अतिरिक्त समय का उपयोग कर सकेंगे।
- अतिरिक्त समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही यह छूट प्रदान की जावेगी। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अतिरिक्त समय की मांग करने हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा । अतिरिक्त समय की सुविधा सिस्टम आधारित होने से जिन अभ्यर्थियों ने इस सुविधा हेतु पंजीयन नहीं कराया है, को अतिरिक्त समय की अनुमति दिया जाना परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए संभव नहीं होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिरिक्त समय प्रदान करने के लिए पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें यह सुविधा प्रदान नहीं की जा सकेगी।

(2) लोकोमोटर विकलांगता एवं सेरेब्रल पेल्सी (मस्तिष्क पक्षाघात) से ग्रसित अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश

लोकोमोटर विकलांगता एवं सेरेब्रल पल्सी (मस्तिष्क पक्षाघात) से ग्रसित अभ्यर्थियों के लिए जहां अभ्यर्थी को लिखने में अत्यधिक अक्षमता हो, प्रत्येक एक घंटे के लिए 20 मिनिट अथवा निष्पादन में धीमेपन की सीमा के आधार पर दी गई सलाह के अनुसार अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा, परंतु उक्त अक्षमता न्यूनतम 40 प्रतिशत होना चाहिए।

(3) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश

न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न–पत्र को मेग्नीफाईड फोंट में देखने का विकल्प चुनने का विकल्प होगा तथा ऐसे सभी अभ्यर्थियों को 20 मिनिट प्रति घंटा अथवा परीक्षा के लिए जैसी सलाह हो, के अनुसार अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा।

उक्त दिशा–निर्देश मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश एवं संशोधनों के अधीन परिवर्तित हो सकेंगे।

ऑनलाईन परीक्षा हेतु पेटर्न –

प्रथम चरण के लिए परीक्षा की संरचना (टेस्ट स्ट्रक्चर)

क.	परीक्षा के विषय	परीक्षा का माध्यम	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	कुल समय
1	तर्कज्ञान क्षमता	हिंदी/अंग्रेजी	40	40	45 मिनिट
2	संख्यात्मक योग्यता	हिंदी/अंग्रेजी	40	40	
	कुल		80	80	

नोट : **भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदो के 5 गुना तक अभ्यर्थी द्वितीय चरण (मुख्य परीक्षा) में सम्मिलित होने हेतु अर्हता धारित कर सकेंगे।**

द्वितीय चरण के लिए परीक्षा की संरचना (टेस्ट स्ट्रक्चर)

क.	परीक्षा के विषय	परीक्षा का माध्यम	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	कुल समय
1	तर्कज्ञान क्षमता	हिंदी/अंग्रेजी	40	50	2 घंटे
2	कम्प्यूटर ज्ञान	हिंदी/अंग्रेजी	40	20	
3	सामान्य जागरूकता	हिंदी/अंग्रेजी	40	40	
4	अंग्रेजी भाषा	अंग्रेजी	40	40	
5	संख्यात्मक योग्यता	हिंदी/अंग्रेजी	40	50	
	कुल		200	200	

1. प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 प्रतिशत अंक काटे जावेंगे। ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न–पत्र बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ आधार पर होगा, जिसमें उत्तर के 5 विकल्प दिये जायेंगे। प्रश्न–पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।
2. बैंकिंग सहायक के पद पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा। अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर होगा।
3. बैंकिंग सहायक के पद हेतु अभ्यर्थियों की वरीयता ऑनलाईन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। कुल रिक्त पदों के 50 प्रतिशत तक अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। जारी प्रतीक्षा सूची की वैधता परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने से एक वर्ष तक रहेगी।

अंक अर्जित करने की प्रक्रिया :

ऑनलाईन परीक्षा में निम्न प्रक्रिया अपना कर अंक अर्जित किये जा सकते हैं :–

(1) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिये गये सही उत्तरों से प्राप्त अंकों में से गलत उत्तर के लिए पेनल्टी प्रभारित करते हुए शेष अंक प्राप्त होंगे।

(2) उपरोक्तानुसार प्राप्त शेष अंकों (correcdted score) का विभिन्न सत्रों में संपादित परीक्षाओं में परीक्षा के कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए आंशिक रूप से समायोजित (equated)* किया जा सकेगा।

* विभिन्न परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को दृष्टिगत रखते हुए आधार अंक निर्धारित होंगे, जिनके आधार पर किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थी को तद्नुरूप समायोजित (equated) अंक प्राप्त होंगे।

सभी टेस्ट में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों तथा कुल प्राप्त अंकों को दशमलव के बाद में दो अंकों तक गणना में लिया जायेगा।

प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्तांकों को अंतिम चयन हेतु आंकलित नहीं किया जायेगा। मात्र मुख्य परीक्षा (द्वितीय चरण) में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थी की चयन संबंधी वरीयता निर्धारित की जावेगी ।

अभ्यर्थियों को परीक्षा का द्वितीय चरण उत्तीर्ण करने एवं चयन हेतु अर्हता धारित करने के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक तथा समग्र रूप से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

द्वितीय चरण – पात्रता अंक दो स्तर पर निर्धारित किये जायेंगे :

(1) अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंकों के आधार पर
(2) कुल प्राप्तांक के आधार पर

पहचान सत्यापन :

परीक्षा हाल में अभ्यर्थी को अपनी पहचान के प्रमाण के लिए प्रवेश पत्र के साथ पेन कार्ड/पास पोर्ट/ड्राईविंग लायसेंस/वोटर आईडी कार्ड/ फोटो युक्त बैंक पास बुक/मध्य प्रदेश के राजपत्रित अधिकारी द्वारा कार्यालयीन लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान–पत्र/जनप्रतिनिधि द्वारा कार्यालयीन लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान–पत्र/कालेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी नवीनतम फोटोयुक्त पहचान पत्र/कर्मचारी पहचान–पत्र/ आधार कार्ड/फोटोयुक्त ई–आधार कार्ड/ बार काउंसिल द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान–पत्र में से किसी एक की मूल प्रति तथा छाया प्रति परीक्षा निरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन प्रवेश पत्र, उपस्थिति सूची एवं उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्य दस्तावेजों के आधार पर किया जावेगा । अभ्यर्थी की पहचान का उचित एवं संतोषजनक प्रमाणीकरण न होने अथवा इस संबंध में कोई संशय की स्थिति निर्मित होने एवं उचित निराकरण न होने की दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी । राशन कार्ड को अभ्यर्थी की पहचान हेतु अधिकृत दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट :

अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा के समय मूल फोटो पहचान पत्र, प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । उक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी । अभ्यर्थी ध्यान रखें कि कॉल लेटर पर दर्शित नाम (रजिस्ट्रेशन के दौरान उपलब्ध कराया गया) का फोटो पहचान पत्र से पूर्णतः मिलान होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा विवाह के पश्चात् अपना प्रथम/मध्य/अंतिम नाम बदल लिया गया है, का विशेष रूप से उल्लेख करें । यदि प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र में उल्लेखित नाम में कोई अंतर पाया जाता है, तो उक्त अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम में परिवर्तन किया गया है, तो संबंधित अभ्यर्थी द्वारा मूल विवाह प्रमाण–पत्र/नाम परिवर्तन से संबंधित गजट नोटिफिकेशन की मूल प्रति/शपथ–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी।

परीक्षा केंद्र का चयन :

ऑन लाईन परीक्षा विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की जावेगी। आवेदक निम्न केन्द्रों में से उनकी पसंद के कुल 6 केंद्रों (मध्यप्रदेश से अधिकतम तीन केंद्र) का चयन कर सकेंगे :–

क्रमांक	**प्रदेश का नाम**	**केंद्र का नाम**
1.	उत्तर प्रदेश	इलाहबाद
2.	उत्तर प्रदेश	झांसी
3.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
4.	गुजरात	अहमदाबाद

5.	गुजरात	वडोदरा
6.	महाराष्ट्र	नगपुर
7.	महाराष्ट्र	नसिक
8	दिल्ली	दिल्ली / एनसीआर
9	मध्यप्रदेश	बालाघाट
10	मध्यप्रदेश	बैतूल
11	मध्यप्रदेश	भोपाल
12	मध्यप्रदेश	छतरपुर
13	मध्यप्रदेश	छिंदवाड़ा
14	मध्यप्रदेश	दमोह
15	मध्यप्रदेश	गुना
16	मध्यप्रदेश	ग्वालियर
17	मध्यप्रदेश	इंदौर
18	मध्यप्रदेश	जबलपुर
19	मध्यप्रदेश	खंडवा
20	मध्यप्रदेश	खरगोन
21	मध्यप्रदेश	मंदसौर
22	मध्यप्रदेश	रतलाम
23	मध्यप्रदेश	रीवा
24	मध्यप्रदेश	सागर
25	मध्यप्रदेश	सतना
26	मध्यप्रदेश	शहडोल
27	मध्यप्रदेश	सीधी
28	मध्यप्रदेश	उज्जैन
29	छत्तीसगढ़	रायपुर
30	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
31	छत्तीसगढ़	भिलाई

1. प्रवेश पत्र में दर्शाये गये परीक्षा केंद्र पर ऑन लाईन परीक्षा आयोजित की जावेगी।
2. परीक्षा के केन्द्र / स्थान / तिथि / सत्र में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी भी परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने या नये परीक्षा केन्द्र को सम्मिलित करने का अधिकार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक को होगा।
4. अभ्यर्थी ने चाहे किसी भी परीक्षा केंद्र का चयन किया हो, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि अभ्यर्थी को कोई भी केंद्र (मध्यप्रदेश में या मध्यप्रदेश के बाहर) आबंटित कर सकता है।
5. अभ्यर्थी को आंवटित परीक्षा केन्द्र पर स्वयं की जोखिम एवं खर्च से उपस्थित होना होगा और उस दौरान घटित होने वाली किसी भी दुर्घटना / क्षति के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक उत्तरदायी नही होगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा का जो केन्द्र चयनित किया जावेगा, वह अंतिम होगा।
7. यदि ऑन लाईन परीक्षा हेतु किसी विशिष्ट केन्द्र को अभ्यर्थियों द्वारा चयनित नहीं किया जाता है तो मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अधिकार होगा कि, उक्त केन्द्र को किसी अन्य स्थान पर अंतरित कर दे या किसी केन्द्र का क्षमता से अधिक अभ्यर्थी चयन करते है तो मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक अभ्यर्थी को अन्य केन्द्र आवंटित कर सकता है।
8. प्रत्येक अभ्यर्थी को छः परीक्षा केन्द्र (मध्यप्रदेश से अधिकतम 3 केंद्र) का चयन करना होगा।
9. मुख्य परीक्षा के केंद्र सीमित हो सकते हैं, जिनका निर्धारण कालांतर में किया जा सकेगा।

सामान्य नियम व शर्तेः–

1. अभ्यर्थी द्वारा नियम एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिये ।
2. अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3. परीक्षा के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, ऐसा हरसंभव प्रयास किया जायेगा, परंतु फिर भी यदि परीक्षा की प्रक्रिया अथवा परिणाम के दौरान कोई व्यवधान होता है तो उसका त्वरित निराकरण किया जावेगा, जिसमें आवेदक को किसी दूसरे केंद्र पर शिफ्ट किया जा सकता है अथवा पुनः परीक्षा हेतु सम्मिलित किया जा सकता है। तत्संबंध में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे आवेदक जो तत्संबंध में अपनी सहमति नहीं देंगे, उनकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

4. मध्यप्रदेश को–ऑपरेटिव सोसायटी नियम 1962 के नियम 44 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक के संचालक मंडल के सदस्यों के परिवार के सदस्य परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

5. आवेदन ओनलाईन आमंत्रित किये जा रहे हैं एवं आवेदन के समय कोई दस्तावेज नहीं देखे गये हैं, अतः अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा जिस पद के लिए आवेदन किया गया है, उसके लिए वह निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण करता है। अभ्यर्थी अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, एवं उसका चयन पर कोई अधिकार नहीं होगा परंतु यदि उसका चयन होता है तो उसकी नियुक्ति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह सभी मूल दस्तावेज संबंधित सक्षम अधिकारी के समक्ष जॉच हेतु प्रस्तुत कर दे।

6. यदि किसी भी समय यह संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी आवेदन–पत्र में दी गई निर्धारित अर्हतायें पूर्ण नहीं करता है तो उसका आवेदन चयन की प्रक्रिया के किसी भी चरण में निरस्त कर दिया जायेगा, भले ही उसका चयन हो गया हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को प्रोबेशनर्स के रूप में उपस्थिति के पूर्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक औपचारिकतायें यथा व्यक्तिगत प्रतिभूति, वचन पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा ।

8. परिवीक्षावधि 12 माह की होगी, परंतु इसमें आगे 6 माह और 6 माह की वृद्धि की जा सकेगी। अधिकतम परिवीक्षावधि 24 माह से अधिक नहीं होगी। परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में बैंक कर्मचारी सेवा नियमों के अनुसार सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. चयनित उम्मीदवार को पुलिस विभाग से आगामी 90 दिनों में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा, परंतु सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जायेगी। पुलिस द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन संतोषजनक न पाये जाने अथवा निर्धारित समयावधि में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की दशा में उसका नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा ।

10. ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व से नियमित(स्थाई) सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें चयन उपरांत उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में वह चयनित पद पर उपस्थिति के लिए पात्र नहीं होगा।

11. उम्मीदवार को नियुक्ति दिनांक से न्यूनतम एक वर्ष के लिए संस्था में सेवा देना आवश्यक होगा। यदि वह उक्त अवधि को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है, तो उसके प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की संपूर्ण राशि उसे जमा करना होगी।

12. एक बार जमा की गई फीस वापसी योग्य नहीं होगी।

13. भरती संबंधी सभी मामलों में म.प्र. राज्य सहकारी बैंक का निर्णय अंतिम होगा और यह सभी उम्मीदवारों के लिये बंधनकारी होगा, इस बारे में किसी भी अभ्यावेदन या व्यक्तिगत पूछताछ पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा ध्यान नहीं दिया जावेगा।

14. यदि परीक्षा एक सत्र से अधिक बार आयोजित की जाती है तो विभिन्न सत्रों में लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों को प्रश्न–पत्र के कठिनाई स्तर को आधार मानकर आंशिक रूप से समायोजित किया जा सकेगा। विभिन्न केंद्रों पर प्रत्यर्थियों को नोड की उपलब्धता में कमी एवं तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

15. चयनित उम्मीदवारों को बैंक मुख्यालय भोपाल के साथ ही अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज अथवा मध्य प्रदेश स्थित बैंक की किसी भी शाखा में पदस्थ किया जा सकेगा।

16. यदि अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने अथवा प्रक्रिया के उल्लंघन के तथ्य चयन के किसी भी चरण में प्रकाश में आते हैं तो अभ्यर्थी को चयन की प्रक्रिया के लिए अयोग्य कर दिया जायेगा और वह मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली भरती की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। यदि ऐसी घटना चयन की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश में नहीं आती है एवं पश्चातवर्ती समय में संज्ञान में आती है तो उसे भविष्य में पूर्व प्रभाव से अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

17. ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक अद्यःपतन अंतर्वलित हो या महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध में संलिप्त रहा हो या दोषी ठहराया गया हो या जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए दंडित किया गया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु यह नियम उन प्रकरणों में लागू नहीं होगा, जबकि ऐसे कृत्य अथवा दंड को घटित हुए 5 वर्ष या उससे अधिक की समयावधि व्यतीत हो चुकी हो।

18. अभ्यर्थी का चयन आई.बी.पी.एस. द्वारा तैयार की गई मेरिट लिस्ट एवं प्रदान की गई वरीयता के आधार पर किया जावेगा। यदि मुख्य परीक्षा में विभिन्न अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते हैं तो चयन का आधार संबंधित अभ्यर्थियों की आयु संबंधी वरिष्ठता होगा।

19. **दुराचरण/अनुचित साधनों के उपयोग के दोषी अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्यवाही :**

अभ्यर्थियों के हित में सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाईन जानकारी देते समय यह ऐसी कोई जानकारी न दें, जो गलत, कूटरचित अथवा छेड़छाड़ कर तैयार की गई हो।

यदि परीक्षा, साक्षात्कार अथवा भर्ती की आगामी प्रक्रिया में वह दोषी पाया जाता है, यथा

1. अनुचित साधनों के उपयोग अथवा
2. किसी अन्य व्यक्ति के नाम से परीक्षा देना या किसी अन्य व्यक्ति का उपयोग करना अथवा
3. परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान दुर्व्यवहार या परीक्षा की सामग्री का किसी भी उद्देश्य से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी भी साधन से यथा मौखिक या लिखित में या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से या किसी अन्य यांत्रिकी माध्यम से प्रकटीकरण, प्रकाशन, प्रेषण, संकलन, या परीक्षा की सामग्री एकत्र करना अथवा
4. परीक्षा में उम्मीदवारी हेतु किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल करना अथवा
5. किसी भी माध्यम से उसकी अभ्यर्थता के लिए सहयोग प्राप्त करना अथवा
6. परीक्षा में मोबाइल अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक संसाधन का इस्तेमाल करना, तो वह आपराधिक कार्यवाही है, साथ–साथ निम्न के लिए भी स्वयं उत्तरदाई होगा :–

अ) परीक्षा हेतु उम्मीदवारी के लिए अपात्र किया जाना

ब) बैंक द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी सीमित समय के लिए अथवा स्थाई रूप से अपात्र किया जाना

स) यदि बैंक में सेवा में उपस्थित हो चुका है, तो सेवापृथक किया जाना

20. चयन प्रकिया के किसी भी प्रक्रम अथवा नियुक्ति के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, म0प्र0 द्वारा किया गया निराकरण उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा । किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मात्र भोपाल(मध्यप्रदेश) होगा।

नोट :– हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के विज्ञापन में किसी भी बिंदु में अंतर की स्थिति में विज्ञापन के अंग्रेजी स्वरूप को अंतिम मान्य किया जायेगा। अंग्रेजी भाषा का विज्ञापन बैंक की वेबसाइट 'www.apexbank.in' पर उपलब्ध है।

प्रभारी प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल